R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड V ◆ अंक 1
जुलाई 2008

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

अल्पावधि फसल ऋण हेतु ब्याज की आर्थिक सहायता

माननीय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में किसानों को उपलब्ध कराए गए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के संबंध में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। आर्थिक सहायता की इस राशि की गणना संवितरित फसल ऋण की राशि पर उसके संवितरण / आहरण की तारीख से भुगतान की तारीख तक अथवा उस तारीख तक जिसके बाद बकाया ऋण क्रमशः अतिदेय हो जाता है, अर्थात खरीफ के लिए 31 मार्च 2009 तथा रबी के लिए 30 जून 2009, जो भी पहले हो, की जाएगी। यह आर्थिक सहायता सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को इस शर्त पर उपलब्ध कराई जाएगी कि वे आधार स्तर पर अल्पावधि ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से उपलब्ध कराएँ।

सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को सूचित किया गया है कि वे खरीफ तथा रबी 2008-09 (अलग-अलग) के लिए किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण का अनुमान रिज़र्व बैंक को तुरन्त भेजें ताकि वह आर्थिक सहायता की संभावित राशि का अनुमान सरकार को भेज सकें। अनुमान वास्तविक स्वरूप का होना चाहिए।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि -

- आर्थिक सहायता प्रदान करने में सरकार की सहुलियत के लिए बैंकों को 30 सितंबर 2008 और 31 मार्च 2009 की छमाही तथा 30 जून 2009 (रबी के लिए) के त्रैमासिक दावे संबंधित तारीखों से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने चाहिए।
- 31 मार्च 2009 को समाप्त छमाही तथा 30 जून 2009 को समाप्त तिमाही (रबी के लिए) के दावों के साथ सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए जिसमें 31 मार्च 2009 को समाप्त संपूर्ण वर्ष तथा 30 जून 2009 को समाप्त तिमाही (जैसा भी मामला हो) के लिए आर्थिक सहायता के दावों की राशि को सत्य और सही प्रमाणित किया गया हो। दावों का अंतिम निपटान इस प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर ही किया जाएगा।
- दावे रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के मामले में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा अलग से परिपत्र जारी किया जाएगा।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि

वर्तमान वैश्विक तथा घरेलू समष्टि आर्थिक तथा वित्तीय गतिविधियों की समीक्षा करने पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट पखवाड़ों से दो चरणों में 50 आधार अंक से बढ़ाते हुए उनकी निवल माँग तथा मीयादी देयताओं का 8.75 प्रतिशत किया गया।

प्रभावी होने की तारीख (अर्थात् निम्न तारीख से प्रारंभ होनेवाला पखवाड़ा)	निवल माँग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत में)
5 जुलाई 2008	8.50
19 जुलाई 2008	8.75

भारत में मोबाईल भुगतान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया गया है कि रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम दिशानिर्देश जारी होने तक वे अपने मोबाईल भुगतान सेवाओं को रोक रखें। उन्होंने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे किसी मोबाईल आधारित मुद्रा अंतरण सेवा जिसे रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त नहीं है अथवा उनके किसी दिशानिर्देश के अंतर्गत शामिल नहीं है, से भी बचे।

आपको यह ज्ञात होगा कि रिज़र्व बैंक ने मोबाईल भुगतानों पर प्रारूप दिशानिर्देशों को बैंकों से प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए 12 जून 2008 को अपनी वेबसाइट www.rbi.org.in पर रखा था। प्राप्त प्रतिसूचना का मूल्यांकन

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
अल्पावधि फसल ऋण हेतु ब्याज की आर्थिक सहायता	1
आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि	1
भारत में मोबाईल भुगतान	1
शहरी सहकारी बैंक	
पूँजीगत निधियों को बढ़ाने के लिए लिखत	2
इरादतन चूककर्ता	2
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास रखी शेष राशि	3
फेमा	
बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए प्रतिभूति	3
पंजीकृत न्यास/सोसाइटी द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश	4
ग्राहक सेवा	
क्रेडिट कार्ड परिचालन	4

करने के बाद रिज़र्व बैंक मोबाईल भुगतानों पर बैंकों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

जबकि रिज़र्व बैंक को बैंकों द्वारा नामे/जमा प्रविष्टियों के लिए मोबाईल पर सतर्कता सूचना, शेष राशि की जानकारी इत्यादि जैसी मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाईल के प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं है किंतु भुगतान अनुदेश के लिए ग्राहकों को इस मार्ग से अनुमति देते समय उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। चूकिं इस संबंध में अनेक विचारार्थ विषय है बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अंतिम दिशानिर्देश जारी होने तक अपने मोबाईल भुगतान सेवाओं को बंद रखें।

शहरी सहकारी बैंक

पूँजीगत निधियों को बढ़ाने के लिए लिखत

रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा पूँजी निर्मित करने संबंधी मामलों की जाँच करने और उनकी पूँजीगत निधियों को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक लिखत/मार्ग की पहचान करने के लिए एक कार्यकारी दल (अध्यक्ष : श्री एन.एस.विश्वनाथन) का गठन किया था। कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर और निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदण्डों का कार्यान्वयन करते हुए पूँजीगत निधि निर्मित (टियर-I और टियर-II) करने में शहरी सहकारी बैंकों को सुविधा प्रदान करने हेतु रिज़र्व बैंक ने उनको वित्तीय लिखतों को जारी करने की अनुमति दी है। वित्तीय लिखत निम्नानुसार है -

अधिमानी शेयर

निम्नप्रकार के अधिमानी शेयर :

i) बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)

ii) बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)

iii) प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)

iv) प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)

जबकि बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर टियर-I पूँजी के रूप में लेने के लिए पात्र होंगे बेमीयादी संचयी अधिमारी शेयर, प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर और प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर टियर-II के रूप में लेने के लिए पात्र होंगे। तथापि, शहरी सहकारी बैंकों को अन्य शहरी सहकारी बैंकों के अधिमानी शेयरों को अभिदान करने की अनुमति नहीं है।

दीर्घावधि जमा

शहरी सहकारी बैंक पाँच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए मीयादी जमा निर्मित कर सकते हैं जो टियर-II पूँजी के रूप में पात्र होंगे।

शेयर लिंक मानदण्ड

मौजूदा विनियामक मानदण्डों के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों से उधार का लिंक उधार लेने वाले सदस्यों की शेयरधारिता के साथ किया गया है। वर्तमान में शेयरधारिता की आवश्यकता जमानती उधार के लिए 2.5 प्रतिशत और बेजमानती उधारों के लिए 5 प्रतिशत की है। कार्यकारी दल की सिफारिशों और इस संबंध में प्राप्त सूचना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान शेयर लिंक मानदण्ड बैंक की कुल चूकता शेयर पूँजी के 5 प्रतिशत की सीमा तक सदस्यों की शेयरधारिता के लिए लागू होंगे जहाँ सदस्य ने किसी शहरी सहकारी बैंक की कुल शेयर चूकता पूँजी के 5 प्रतिशत का पहले ही धारण किया हो। उसे वर्तमान शेयर लिंक मानदण्ड लागू होने के कारण किसी अतिरिक्त शेयर पूँजी के लिए अभिदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, उधारकर्ता सदस्य को एक ऐसी राशि के लिए शेयर धारण करना होगा जिसकी गणना वर्तमान शेयर लिंक मानदण्डों के अनुसार की जाएगी अथवा बैंक की कुल चुकता शेयर पूँजी के 5 प्रतिशत की राशि होगी, जो भी कम है।

पूँजीगत निधियों का वर्गीकरण

वर्तमान अनुदशों को अनुसार पूँजीगत निधियों को टियर-I पूँजी और टियर-II पूँजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टियर-II पूँजी के अंश को टियर-I पूँजी के अधिकतम शतप्रतिशत तक पूँजीगत निधि के रूप में गिना जाएगा। अब यह निर्णय लिया गया है कि टियर-II पूँजी को अपर और लोअर टियरों में वर्गीकृत किया जाए। बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर, प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर और प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयरों को अपर टियर-II के रूप में माना जाएगा। दीर्घावधि जमा को लोअर टियर-II पूँजी के रूप में लिया जाएगा। बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) को टीयर I पूँजी (पीएनसीपीएस को छोड़कर) के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। दीर्घावधि जमा को टियर-I पूँजी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और कुल टियर-II पूँजी को टियर-I पूँजी से अधिक नहीं होना चाहिए।

टियर-II पूँजी के अंश को अधिकतम टियर-I पूँजी के शतप्रतिशत तक पूँजीगत निधि के रूप में गिना जाएगा। इस प्रतिबंध को उन शहरी सहकारी बैंकों के लिए जिनकी 9 प्रतिशत से कम जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) है के लिए पाँच वर्ष की अवधि अर्थात् 31 मार्च 2013 तक रोक रखा है ताकि उन्हें टियर-I पूँजी निर्मित करने के लिए समय दिया जा सके। दूसरे शब्दों में, टियर-II पूँजी को पूँजी पर्याप्ता के प्रयोजन के लिए पूँजीगत निधि के रूप में माना जाए यदि शहरी सहकारी बैंक के पास टियर-I पूँजी नहीं है। तथापि, इस अवधि के दौरान पूँजी पर्याप्ता आवश्यकताओं के प्रयोजन के लिए केवल लोअर टियर-II पूँजी पर जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) का निर्धारित 50 प्रतिशत का प्रतिबंध होगा और टियर-II पूँजी के संबंध में प्रगतिशील बट्टा काटना लागू होगा।

शहरी सहकारी बैंक अधिमानी शेयर और दीर्घावधि जमा जारी कर सकते है बशर्ते वे सहकारी समिति अधिनियम के अपने अंतरनियमों/प्रावधानों का अनुपालन करते हैं जिसके अंतर्गत वे पंजीकृत हैं और संबंधित सहकारी समितियों के पंजीयक/सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक, जो भी लागू हो, और रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त हो। केंद्र/राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि जहाँ कहीं आवश्यक हो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम/सहकारी समिति अधिनियम/नियमों में संशोधन करें।

इरादतन चूककर्ता

1 अगस्त 2002 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में परिभाषित इरादतन चूककर्ता शब्द को निम्नानुसार पुन:परिभाषित किया गया है:

नीचे दी गयी किसी भी स्थिति में यदि चूक होती है तो उसे इरादतन चूक माना जाएगा:

- इकाई ने ऋणदाता को किए जानेवाले अपने भुगतान/चुकौती के दायित्व को अपनी क्षमता होते हुए भी पूरा करने में चूक की है।
- इकाई ने ऋणदाता को किए जानेवाले अपने भुगतान/चुकौती के दायित्व को पूरा करने में चूक की है तथा जिस विशेष उद्देश्य के लिए ऋणदाता से वित्त लिया उसके लिए निधि का उपयोग न करके अन्यत्र उपयोग किया।
- इकाई ने ऋणदाता को किए जानेवाले अपने भुगतान/चुकौती के दायित्व को पूरा करने में चूक की है तथा निधि का दुरूपयोग किया है इसलिए निधि जिस विशेष उद्देश्य से ली गयी थी वहां उसका उपयोग नहीं किया गया न ही इकाई के पास अन्य आस्ति के रूप में निधि उपलब्ध है।

- इकाई ने ऋणदाता को किए जानेवाले अपने भुगतान/चुकौती के दायित्व को पूरा करने में चूक की है तथा बैंक /ऋणदाता को सावधि ऋण की जमानत के तौर पर दी गई स्थायी चल आस्तियों का या अचल संपत्ति का बैंक/ ऋणदाता की जानकारी के बगैर निपटान कर दिया है या हटा दिया है।

साथ ही, यह दोहराया जाता है कि सूचीबद्ध इरादतन चूककर्ताओं को किसी भी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान नहीं की जाए। इसके अतिरिक्त उद्यमियों/कंपनियों के प्रवर्तकों को जहां अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों ने निधियों के दुरुपयोग/उनके अन्यत्र निवेश, गलत निरूपण, खातों के बारे में झूठी जानकारी तथा कपटपूर्ण लेनदेन के मामले पाए हैं वहां रिज़र्व बैंक की इरादतन चूककर्ताओं की सूची में उनका नाम प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष के लिए उनके नए उपक्रमों को अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले संस्थागत वित्त से वंचित किया जाए।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास रखी शेष राशि

रिज़र्व बैंक ने सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को सूचित किया है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास उनके द्वारा चालू खाते में रखी गयी राशि को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 18 तथा 24 के अंतर्गत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को चालू खाते का निवल शेष के रूप में हिसाब में नहीं ली जा सकती है।

शहरी सहकारी बैंक जो आईडीबीआई बैंक के पास चालू खाता शेष रखते है तथा वर्तमान में सीआरआर/एसएलआर के अंतर्गत रिपोर्ट करते है, को सूचित किया गया है कि वे 30 जून 2008 की स्थिति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करें।

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 18(1) (ग) तथा 24(2)(क) के अनुसार सहकारी बैंकों द्वारा निम्नलिखित बैंको के पास चालू खाते में रखी हुई निवल शेष राशि सीआरआर /एसएलआर के लिए नकद के रूप में हिसाब में ली जाए।

i) भारतीय स्टेट बैंक

ii) अनुषंगी बैंक तथा

iii) संपर्की नये बैंक

चूँकि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड इन बैंकों में से न होने के कारण इन अनुदेशों को जारी किया गया है।

फेमा

बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए प्रतिभूति

वर्तमान प्रक्रिया को युक्तिसंगा बनाने के उपाय के रूप में श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों और वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार के सृजन के लिए तथा कारपोरेट अथवा निजी गारंटियों पर, उधारदाता की ओर से समुद्रपारीय उधारकर्ता/जमानत ट्रस्टी पर उधारकर्ता द्वारा की जाने वाली बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाही को कवर देने हेतु आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र जारी करें।

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के अंतर्गत आपत्ति नहीं प्रदान करने के पहले श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि (i) अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। (ii) अचल परिसंपत्तियों और वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार के सृजन के लिए तथा कारपोरेट अथवा निजी गारंटियां देने के लिए उधारदाता द्वारा किये जाने वाले ऋण संविदा में सुरक्षा संबंधी खण्ड रखा गया है। (iii) ऋण संविदा पर उधारदाता /उधारकर्ता दोनों के हस्ताक्षर हैं। (iv) उधारकर्ता ने रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन) प्राप्त कर लिया है।

अचल परिसंपत्तियों पर प्रभार का सृजन

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों पर प्रभार के सृजन के लिए आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र या तो उधारदाता या फिर जमानती ट्रस्टी के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जा सकता है :-

(i) आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र केवल निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार के उधारकर्ता को प्रदान किये जायेंगे।

(ii) अचल परिसंपत्तियों पर ऐसे प्रभार की अवधि अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार के (ईसीबी) की परिपक्वता साथ-साथ पूरी होती हों।

(iii) ऐसे आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र का यह अर्थ नहीं है कि किसी समुद्रपारीय उधारदाता /प्रतिभूति ट्रस्टी को भारत में अचल परिसंपत्ति (संपत्ति) अर्जित करने की अनुमति मिल गयी हो।

(iv) प्रभार का सृजन प्रवर्तन/लागू करने की स्थिति में अर्जित अचल परिसंपत्ति (संपत्ति) केवल भारत के निवासी को ही बेची जा सकेगी और बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार की चुकौती के लिए भारत को प्रत्यावर्तित की जायेगी।

वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार का सृजन

श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उधारकर्ता की घरेलू सहयोगी कंपनियों सहित उधारकर्ता कंपनियों द्वारा धारित शेयरों को गिरवी रखने के लिए निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ता को निम्नलिखित शर्तों पर अपना आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र दे सकते हैं।

(i) इस प्रकार की गिरवी की अवधि अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार के (ईसीबी) की परिपक्वता साथ-साथ पूरी होती हों।

(ii) गिरवी लागू करने की स्थिति में, अंतरण बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुरूप है।

(iii) कंपनी के सांविधिक लेखापरिक्षक से इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम का उपयोग अनुमत अंतिम प्रयोग के लिए ही किया गया है।

कंपनी/निजी गारंटी का निर्गम

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत निजी अथवा कंपनी गारंटी जारी करने के लिए निवासी बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ता से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने के बाद आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है :

(i) इस प्रकार की गारंटी देने वाली कंपनी से कपंनी गारंटी जारी करने हेतु कंपनी की तरफ से अथवा व्यक्तिगत हैसियत से इस प्रकार की गारंटी देने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नामों का उल्लेख करते हुए कंपनी के बोर्ड का संकल्प।

(ii) निजी गारंटीं जारी करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के ब्योरों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक व्यक्ति से विशिष्ट अनुरोध।

(iii) यह सुनिश्चित करने के बाद कि इस प्रकार जारी की गयी निजी अथवा कंपनी गारंटी की अवधि अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार के (ईसीबी) की परिपक्वता साथ-साथ पूरी होती हो।

श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक, अनिवार्यतया विशेष रूप से उल्लेख करें कि आपत्ति नहीं'प्रमाणपत्र, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

अंतर्गत विदेशी मुद्रा विनिमय के नजरिये से जारी किया गया है और इससे यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये कि यह किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण अथवा सरकारी अथवा अन्य कानूनों/विनियमों द्वारा अनुमत है। यदि इसके बाद भी किसी अन्य विनियामक/सांविधिक प्राधिकरण अथवा कानून के तहत सरकारी अथवा अन्य विनियमों से अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित हो तो आवादेक लेनदेन करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त कर ले। इसके अतिरिक्त, आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र, का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिये कि इसे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की अनियमितता को नियमित करने अथवा किसी उल्लंघन अथवा चूक को वैध करने का उपाय है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार के दिशा-निर्देशों में किये गये ये संशोधन समय-समय पर की जाने वाली समीक्षा के साथ तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

पंजीकृत न्यास/सोसाइटी द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश

समुद्रपारीय निवेश नीति को और अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से उत्पादन/शैक्षिक क्षेत्र में निवेश करने हेतु पंजीकृत न्यासों और सोसाइटीज को अब भारत से बाहर के संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं में निवेश की अनुमति दी गई है। निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करनेवाली पंजीकृत न्यास/सोसाइटी, समुद्रपारीय निवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है :

मानदण्ड

न्यास

(i) न्यास, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

(ii) प्रस्तावित समुद्रपारीय निवेश न्यास विलेख के अनुसार अनुमत होना चाहिए।

(iii) प्रस्तावित समुद्रपारीय निवेश न्यास/न्यासों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी बैंक इससे संतुष्ट हो कि न्यास द्वारा अपने ग्राहक को जानिए के लिए निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।

(v) न्यास न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि से शुरू किया गया होना चाहिए।

(vi) न्यास, किसी विनियामक/प्रवर्तन एजेंसी जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय/सीबीआई आदि के पास उपलब्ध किसी प्रतिकूल सूचना के दायरे में नहीं आता हो।

सोसाइटी

(i) सोसाइटी, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।

(ii) प्रस्तावित समुद्रपारीय निवेश, संस्था के बहिर्नियम तथा निमय/विनियम के अनुसार और इसके साथ ही नियंत्रक निकाय/परिषद या प्रबंध/कार्यपालक समिति द्वारा भी अनुमोदित होना चाहिए।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक इससे संतुष्ट हो कि सोसाइटी द्वारा अपने ग्राहक को जानिए के लिए निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।

(iv) सोसाइटी कम से कम तीन वर्षों से कार्य कर रही हो।

(v) सोसाइटी, किसी विनियामक/प्रवर्तन एजेंसी जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय/सीबीआई आदि के पास उपलब्ध किसी प्रतिकूल सूचना के दायरे में नहीं आती हो।

श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजीकरण के अतिरिक्त, वे कार्यकलाप जिनके लिए या तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार अथवा आवश्यक स्थानीय प्राधिकरण से, यथा स्थिति, विशेष लाइसेंस/अनुमति लेना अपेक्षित हो, इस प्रकार का विशेष लाइसेंस/अनुमति आवेदक द्वारा प्राप्त किया गया है।

उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले न्यास/सोसाइटियां अपने श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक/बैंकों के माध्यम से फार्म ओडीआइ- भाग-I में अपने आवेदनपत्र प्रस्तुत करने चाहिए। श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, अपनी सिफारिशों/अभिमतों के साथ आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग, मुंबई को विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहिए।

ग्राहक सेवा

क्रेडिट कार्ड परिचालन

रिज़र्व बैंक तथा बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को प्राप्त शिकायतों के आधार पर बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों पर एक अध्ययन किया गया। अध्ययन की सिफारिशों का सारांश और भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेश, यदि है और इस संबंध में बैंकों द्वारा की जाने योग्य आवश्यक कार्रवाई को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर रखा गया है।

अनचाहे कार्ड

अपने पूर्व अनुदेशों को दोहराते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अनचाहे क्रेडिट कार्ड जारी न करें। यदि कोई अनचाहा कार्ड जारी किया जाता है और प्राप्तकर्ता की अनुमति के बगैर सक्रिय किया जाता है और उसके लिए यदि बिल बनता है तो कार्ड जारी करनेवाली बैंक को न केवल प्रभारों की तुरंत प्रति प्रविष्टि करनी चाहिए किंतु प्रति प्रविष्टि किए गए प्रभारों की दुगुनी राशि का दण्ड भी प्राप्तकर्ता को भुगतान करना होगा।

वह व्यक्ति जिसके नाम पर कार्ड जारी किया गया है बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है। बैंकिंग लोकपाल बाद में शिकायतकर्ता की समय की बरबार्दी, किए गए व्यय, उत्पीड़न और मासिक त्रास को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बैंक द्वारा उसे देय क्षतिपूर्ति की राशि तय करेगा। साथ ही, ऐसे भी उदाहरण है जहाँ जारी किए गए अनचाहे क्रेडिट कार्ड को जिसके नाम पर कार्ड जारी किया गया है उसके पास पहुँचने से पहले ही उसका दुरूपयोग किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अनचाहे कार्डों के दुरूपयोग से उत्पन्न होनेवाली कोई भी हानि के लिए केवल कार्ड जारी करनेवाली बैंक ही जिम्मेदार होगी और वह व्यक्ति जिसके नाम पर कार्ड जारी किया गया है जिम्मेदार नहीं होगा।

बीमा कवर

जहाँ बीमा कंपनी के साथ टाई-अप करके क्रेडिट कार्ड धारक को बीमा कवर दिया गया है वहाँ बैंक को क्रेडिट कार्ड धारक से लिखित रूप में दुर्घटना से हुई मृत्यु और अंगहानि लाभ के संबंध में बीमा कवर के लिए नामिति/नामितियों का विवरण प्राप्त करना चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कंपनी द्वारा संबंधित नामांकन ब्यौरा दर्ज किया गया है। बैंक को क्रेडिट कार्ड धारक को एक पत्र भी जारी करना चाहिए जिसमें बीमा कंपनी का नाम, पता और टेलीफोन नंबर दिया गया हो।

बैंकों को इन अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा गया है और किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रिज़र्व बैंक द्वारा संवेदनशील माना जाएगा।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग (संचार विभाग), केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**